

भाग - III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 अप्रैल, 2018

संख्या का०आ०—20/के०आ० 14/1981/धा० 54/2018.—वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14), की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा, हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) नियम, 1983, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) संशोधन नियम, 2018, कहे जा सकते हैं ।
2. हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) नियम, 1983 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खंड (घ) में, “हरियाणा राज्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण)” बोर्ड शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, “हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
3. उक्त नियमों में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 - (i) चण्डीगढ़ / पंचकूला में निवास कर रहे बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड की वास्तविक बैठक अथवा धारा II की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी समिति की वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए प्रतिदिन तीन सौ रुपये की दर से भत्ते का भुगतान किया जायेगा ;
 - (ii) चण्डीगढ़ / पंचकूला में निवास नहीं करने वाले बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड की वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन अथवा धारा II की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी समिति की वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए तीन सौ रुपये प्रतिदिन के भत्ते (दैनिक भत्ते सहित) तथा ऐसी दरों पर यात्रा भत्ते, जो सरकार के ग्रेड - 1 अधिकारी को अनुज्ञय हैं, का भी भुगतान किया जाएगा ;
 - (iii) जब विधानसभा का सत्र नहीं हो रहा हो, तो विधानसभा का सदस्य, जो बोर्ड का भी सदस्य है, सदस्य द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कि उसने सरकार के किसी अन्य चोत से उसी यात्रा तथा ठहराव के लिए कोई ऐसा भत्ता प्राप्त नहीं किया है, ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो विधानसभा सत्र में उपस्थित होने के लिए उसे अनुज्ञय है ।” ।
4. उक्त नियमों में, नियम 4 में—
 - (i) उपनियम (2) में, प्रथम परन्तुक में, “हरियाणा संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़ और दिल्ली से हर किसी स्थान पर जाने के लिए वह सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा” शब्दों तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा ;
 - (ii) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(4), अध्यक्ष, कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पुष्टीकरण, सेवा की समाप्ति के मामलों में ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (युप क, ख, ग तथा घ) सेवा विनियम, 2004 के अधीन प्रदत्त की गई हैं” ; तथा
 - (iii) उपनियम (7) में, “पूर्ण” शब्द का लोप कर दिया जाएगा ।
5. उक्त नियमों में, नियम 5 में, उपनियम (6) में, ‘‘पन्द्रह मिनट’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘आधा घण्टा’’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
6. उक्त नियमों में, नियम 6 में—
 - (i) उपनियम (1) में, ‘‘का समय’’ शब्दों के स्थान पर, ‘‘की तिथि, समय’’ शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; तथा
 - (ii) उपनियम (3) में, ‘‘यथासम्बद्ध’’ शब्द के स्थान पर, ‘‘यथासाध्य’’ शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
7. उक्त नियमों में, नियम 7 में, उपनियम (1) में, ‘‘बोर्ड’’ शब्द के बाद, ‘‘अथवा अध्यक्ष’’ शब्दों का लोप कर दिया जाएगा ।
8. उक्त नियमों में, नियम 8 में, उपनियम (2) में, ‘‘200 रु’’ अंकों तथा शब्द के स्थान पर, ‘‘दो हजार रुपए’’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
9. उक्त नियमों में, नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 - (i) सदस्य-सचिव की सेवा की निवन्धन तथा शर्तें — धारा 14 (1)-(i) सरकार, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (च) में यथा विहित योग्यताएं रखने वाले किसी व्यक्ति को पूर्ण कालिक सदस्य-सचिव नियुक्त कर सकती है ;
 - (ii) (क) सदस्य-सचिव, जो सेवारत अधिकारी है, सरकार द्वारा यथा नियत वेतन तथा भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा ;

(ख) सदस्य-सचिव, जो सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी है, वेतन, जो वह उसकी सेवानिवृत्ति से तुरंत पूर्व प्राप्त कर रहा था, में से पेंशन तथा उपदान के समकक्ष पेंशन घटाते हुए जमा हरियाणा सरकार में समरूप पदवी के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुज्ञेय अन्य भत्ते प्राप्त करेगा;

(ग) खण्ड (ii) के उप-खण्ड (क) तथा (ख) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जब सेवारत अधिकारी अथवा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह उसकी नियुक्ति के समय पर सरकार द्वारा यथा निम्न चतुर्भुज नियत मासिक वेतन प्राप्त करेगा; तथा

(iii) बोर्ड के सदस्य-सचिव की सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें सरकार द्वारा नियत की जाएंगी।"

10. उक्त नियमों में, नियम 10 में:-

(i) खण्ड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(v) (क) सदस्य-सचिव, बोर्ड के ग्रुप के सभी कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के लिए रिपोर्टिंग और पुनरीक्षण प्राधिकारी होगा;

(ख) सदस्य-सचिव, सदस्य-सचिव के कार्मिक अमले की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के लिए रिपोर्टिंग, पुनरीक्षण और स्वीकार करने वाला प्राधिकारी होगा;

(ग) अध्यक्ष, अध्यक्ष के कार्मिक अमले की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के लिए रिपोर्टिंग, पुनरीक्षण और स्वीकार करने वाला प्राधिकारी होगा;

(घ) बोर्ड के ग्रुप ख के कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा अभिलिखित की जाएंगी;

(ङ) बोर्ड के ग्रुप ख के कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के लिए सदस्य-सचिव पुनरीक्षण प्राधिकारी होगा और अध्यक्ष स्वीकार करने वाला प्राधिकारी होगा;

(च) सदस्य-सचिव और अध्यक्ष के कार्मिक अमले को छोड़कर, सभी ग्रुप ग तथा घ के कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा अभिलिखित की जाएंगी, जिस के लिए सदस्य-सचिव पुनरीक्षण और स्वीकार करने वाला प्राधिकारी होगा;

(छ) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दी गई प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध ग्रुप ग तथा घ के कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों का निर्णय करने के लिए अध्यक्ष प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होगा और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होगा;

(ज) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दी गई प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध बोर्ड के ग्रुप के और ख के कर्मचारियों तथा अध्यक्ष के कार्मिक अमले के प्रतिवेदन का निर्णय करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होगा तथा प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होगा;"

(ii) खण्ड (ix) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ix) सदस्य-सचिव किसी भी भुगतान को रोक सकता है :

परन्तु भुगतान को इस प्रकार रोकने के पश्चात् मामला यथाशक्य शीघ्र अनुमोदनार्थ अध्यक्ष के सम्मुख रखा जाएगा तथा भुगतान रोकने के लिए प्रभावित व्यक्ति को लिखित में सूचित किया जाएगा;" तथा

(iii) खण्ड (xi) में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :-

"तथा सरकार को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"

11. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उपनियम (1) में, परन्तुक में, "2300 रु" अंको तथा शब्द के स्थान पर, "₹15600 - ₹39100 + ₹8000", चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

12. उक्त नियमों में, नियम 12 में, उपनियम (3) में, परन्तुक में "दो हजार रु" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

13. उक्त नियमों में, नियम 15 में, उपनियम (5) में, "बैंक ड्राफ्ट" शब्दों से पूर्व "नकद, इलैक्ट्रोनिक निधि अन्तरण प्रणाली या" शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे।

14. उक्त नियमों में, नियम 20 में, "प्ररूप IV" शब्द तथा अक्षर से पूर्व, "तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे।

15. उक्त नियमों में, नियम 24 में:-

(i) उपनियम (2) में, अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-

"यदि अपीलीय अधिकारी की सन्तुष्टि हो गई है कि कार्रवाई इत्यादि का मामला एक जैसा है, तो वह संयुक्त अपील भी अनुज्ञात कर सकता है"; तथा

- (ii) उपनियम (5) में, "उप-नियम (7)" शब्दों, चिह्न, कोष्ठक तथा अंक के स्थान पर, "उपनियम (2)" शब्द, कोष्ठक तथा अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
16. उक्त नियमों में, नियम 25 में, उपनियम (1) में, "तिथि" शब्द के पश्चात्, "तथा स्थान" शब्द रखे जाएंगे ।
17. उक्त नियमों में, नियम 26 में—
- (i) उपनियम (5) में, "गत अनुभव" शब्दों के स्थान पर, "आधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर दी गई सेवा" शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे ;
 - (ii) उपनियम (7) में, "समेकित" शब्द के स्थान पर, "संकलित" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा
 - (iii) उपनियम (13) का लोप कर दिया जाएगा ।

देवेन्द्र सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग ।